राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांकः 18/10/2017

आज्ञा

किसानों के पचास हजार रूपये तक कर्ज माफी की मांग के संदर्भ में लिये जाने वाले निर्णय के लिये विभिन्न राज्यों यथा– उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल एवं अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं इसके राजस्थान राज्य की परिस्थितियों के संदर्भ में प्रभाव के अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं तकनीकी कमेटी का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:–

1.	डॉ. रामप्रताप, मा. जल संसाधन मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक परनामी, मा. प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा	सदस्य
3.	श्री प्रभुलाल सैनी, मा. कृषि मंत्री	सदस्य
4.	श्री राजपाल सिंह शेखावत, मा. उद्योग मंत्री	सदस्य
5.	श्री अजय सिंह, मा. सहकारिता मंत्री	सदस्य
6.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, मा. ऊर्जा राज्यमंत्री	सदस्य
7.	श्री श्रीमत् पाण्डे, चेयरमेन, डिस्काम्स	सदस्य
8.	श्री डी.बी.गुप्ता, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
9.	श्रीमती नीलकमल दरबारी, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
10.	श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
11.	श्री अखिल अरोडा, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की बैठक में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विशेष सदस्य भी आमंत्रित रहेंगे।

उक्त कमेटी समस्त संबंधित पक्षकारों से विचार–विमर्श कर एक माह में अपनीं रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त कमेटी का प्रशासनिक विभाग कृषि विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०/–
(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मा. प्रदेशाध्यक्ष (भाजपा)/संबंधित मंत्रिगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, चेयरमेन, डिस्काम्स।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।/सहकारिता विभाग
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
10. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव